

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 13/8/19

विषय:- पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹19289.75036 लाख (एक सौ बानवे करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार छत्तीस रु०) मात्र राज्य के कार्यरत 49 नगर परिषदों के बीच सहायक अनुदान रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद- 243-I-सह पठित- 243-Y के अनुपालन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा- 71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूना सं०- 12530, दिनांक- 13.12.2013 द्वारा किया गया। पंचम् राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए०एन०पी० सिन्हा द्वारा दिनांक- 02.02.2016 को समर्पित किये गये प्रतिवेदन के आलोक में वित्त विभाग द्वारा संकल्प सं०- 1510, दिनांक- 24.02.2016 निर्गत किया गया।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं०- 1510, दिनांक- 24.02.2016 द्वारा निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं:-

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 2.75% स्थानीय निकायों को Devolution + Grant के रूप में अंतरित किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Devolution के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जायेगी।

(iii) पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर्विभाजन 70:30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक किया जायेगा।

(iv) स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जाने वाली राशि के द्वितीय किस्त की विमुक्ति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि का लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

3. स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-

(क) अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर निकायों द्वारा आयोग की अनुशंसा के अध्याय- 9 के अनुरूप किया जायेगा।

(ख) पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा संख्या- 9.6.5 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग क्षमता वर्द्धन, ई० म्यूनिसिपलिटि एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, Model City & Town Master Plan एवं DPR तैयार करने जैसे कार्यों पर किया जायेगा। अनुदान के वैसे घटक जिनके लिए केन्द्रीयकृत प्रबंधन करना आवश्यक होगा, उनके लिए विभाग द्वारा राशि के व्यय हेतु आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश दिये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार केन्द्रीयकृत प्रबंधन भी किया जा सकेगा।

(ग) PPP कार्यक्रम के अंतर्गत Viability Gap Funding एवं शहरी निकायों में SPUR जैसे विशेषज्ञ सेवाएँ (Professional Services) उपलब्ध कराने के लिए इसी मद से राशि दी जायेगी।

(घ) मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना हेतु राशि आवंटित की जाएगी।

4. Devolution+Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-

(क) Devolution+Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 30 प्रतिशत राशि का व्यय “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

(ख) Devolution+Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 20 प्रतिशत राशि का व्यय “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

(ग) Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से 01 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों के आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली, मुख्यालय स्तर पर SPUR Type Professional एवं कंडिका- 3

(ख) में वर्णित सेवाओं पर किया जायेगा।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में Devolution+Grant के रूप में प्राप्त राशि में से पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम किस्त की कुल राशि ₹19289.75036 लाख (एक सौ बानवे करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार छत्तीस रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नगर परिषद का नाम	90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित राशि	10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित राशि	कुल स्वीकृत राशि (3+4)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली राशि (6+7)
					0005.31.04	0005.31.05	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाढ़	2,70,36,886.00	12,85,087.00	2,83,21,973.00	1,41,60,987.00	1,41,60,986.00	2,83,21,973.00
2	खगौल	1,95,13,275.00	15,19,259.00	2,10,32,534.00	1,05,16,267.00	1,05,16,267.00	2,10,32,534.00
3	दानापुर	8,02,39,437.00	33,21,238.00	8,35,60,675.00	4,17,80,338.00	4,17,80,337.00	8,35,60,675.00

(राशि रुपये में)

4	मोकामा	2,66,88,736.00	40,49,454.00	3,07,38,190.00	1,53,69,095.00	1,53,69,095.00	3,07,38,190.00
5	मसौड़ी	2,63,03,708.00	26,92,973.00	2,89,96,681.00	1,44,98,341.00	1,44,98,340.00	2,89,96,681.00
6	फुलवारीशरीफ	3,59,52,416.00	18,50,526.00	3,78,02,942.00	1,89,01,471.00	1,89,01,471.00	3,78,02,942.00
7	बख्तियारपुर	2,10,67,259.00	37,63,879.00	2,48,31,138.00	1,24,15,569.00	1,24,15,569.00	2,48,31,138.00
8	फतुहा	2,24,14,857.00	13,99,317.00	2,38,14,174.00	1,19,07,087.00	1,19,07,087.00	2,38,14,174.00
9	बक्सर	4,52,42,486.00	14,73,567.00	4,67,16,053.00	2,33,58,027.00	2,33,58,026.00	4,67,16,053.00
10	डुमरांव	2,35,83,475.00	43,77,865.00	2,79,61,340.00	1,39,80,670.00	1,39,80,670.00	2,79,61,340.00
11	ममुआ	2,39,70,768.00	86,01,521.00	3,25,72,289.00	1,62,86,145.00	1,62,86,144.00	3,25,72,289.00
12	सासाराम	6,48,35,947.00	31,12,768.00	6,79,48,715.00	3,39,74,358.00	3,39,74,357.00	6,79,48,715.00
13	डेहरीडालमिया नगर	6,03,59,742.00	60,88,460.00	6,64,48,202.00	3,32,24,101.00	3,32,24,101.00	6,64,48,202.00
14	विक्रमगंज	2,13,16,952.00	44,66,394.00	2,57,83,346.00	1,28,91,673.00	1,28,91,673.00	2,57,83,346.00
15	हिलसा	2,24,54,781.00	36,18,236.00	2,60,73,017.00	1,30,36,509.00	1,30,36,508.00	2,60,73,017.00
16	जहानाबाद	4,53,92,370.00	57,77,183.00	5,11,69,553.00	2,55,84,777.00	2,55,84,776.00	5,11,69,553.00
17	अरवल	2,28,05,299.00	8,56,725.00	2,36,62,024.00	1,18,31,012.00	1,18,31,012.00	2,36,62,024.00
18	औरंगाबाद	4,49,71,139.00	60,91,316.00	5,10,62,455.00	2,55,31,228.00	2,55,31,227.00	5,10,62,455.00
19	दाउदनगर	2,30,31,985.00	39,86,628.00	2,70,18,613.00	1,35,09,307.00	1,35,09,306.00	2,70,18,613.00
20	नवादा	4,31,17,050.00	16,22,066.00	4,47,39,116.00	2,23,69,558.00	2,23,69,558.00	4,47,39,116.00
21	सीतामढ़ी	2,98,29,185.00	22,18,918.00	3,20,48,103.00	1,60,24,052.00	1,60,24,051.00	3,20,48,103.00
22	हाजीपुर	6,49,59,102.00	56,08,694.00	7,05,67,796.00	3,52,83,898.00	3,52,83,898.00	7,05,67,796.00
23	महनार	2,12,41,165.00	28,61,462.00	2,41,02,627.00	1,20,51,314.00	1,20,51,313.00	2,41,02,627.00
24	मोतिहारी	5,54,89,375.00	39,66,637.00	5,94,56,012.00	2,97,28,006.00	2,97,28,006.00	5,94,56,012.00
25	रक्सौल	2,44,26,950.00	16,62,046.00	2,60,88,996.00	1,30,44,498.00	1,30,44,498.00	2,60,88,996.00
26	ढाका	1,85,00,970.00	36,92,485.00	2,21,93,455.00	1,10,96,728.00	1,10,96,727.00	2,21,93,455.00
27	बैतिया	5,81,50,737.00	22,87,456.00	6,04,38,193.00	3,02,19,097.00	3,02,19,096.00	6,04,38,193.00
28	बगहा	4,95,41,064.00	1,05,17,730.00	6,00,58,794.00	3,00,29,397.00	3,00,29,397.00	6,00,58,794.00
29	नरकटियागंज	2,17,75,400.00	31,29,902.00	2,49,05,302.00	1,24,52,651.00	1,24,52,651.00	2,49,05,302.00
30	बेनीपुर	3,31,27,637.00	1,14,23,003.00	4,45,50,640.00	2,22,75,320.00	2,22,75,320.00	4,45,50,640.00
31	मधुबनी	3,33,11,692.00	7,19,649.00	3,40,31,341.00	1,70,15,671.00	1,70,15,670.00	3,40,31,341.00
32	समस्तीपुर	2,98,76,214.00	9,85,234.00	3,08,61,448.00	1,54,30,724.00	1,54,30,724.00	3,08,61,448.00
33	सुल्तानगंज	2,32,64,085.00	35,09,717.00	2,67,73,802.00	1,33,86,901.00	1,33,86,901.00	2,67,73,802.00
34	बाका	2,02,22,769.00	53,88,801.00	2,56,11,570.00	1,28,05,785.00	1,28,05,785.00	2,56,11,570.00
35	जमालपुर	4,63,74,225.00	30,41,374.00	4,94,15,599.00	2,47,07,800.00	2,47,07,799.00	4,94,15,599.00
36	लखीसराय	4,39,74,736.00	70,79,406.00	5,10,54,142.00	2,55,27,071.00	2,55,27,071.00	5,10,54,142.00
37	शेखपुरा	2,76,78,035.00	44,49,259.00	3,21,27,294.00	1,60,63,647.00	1,60,63,647.00	3,21,27,294.00
38	बरबीघा	2,02,65,738.00	44,54,971.00	2,47,20,709.00	1,23,60,355.00	1,23,60,354.00	2,47,20,709.00
39	जमुई	3,84,23,295.00	72,67,885.00	4,56,91,180.00	2,28,45,590.00	2,28,45,590.00	4,56,91,180.00
40	खगडिया	2,17,30,739.00	8,48,157.00	2,25,78,896.00	1,12,89,448.00	1,12,89,448.00	2,25,78,896.00
41	बीहट	2,98,88,055.00	24,55,945.00	3,23,44,000.00	1,61,72,000.00	1,61,72,000.00	3,23,44,000.00
42	सिवान	5,94,07,322.00	37,26,754.00	6,31,34,076.00	3,15,67,038.00	3,15,67,038.00	6,31,34,076.00
43	गोपालगंज	2,96,18,400.00	31,72,739.00	3,27,91,139.00	1,63,95,570.00	1,63,95,569.00	3,27,91,139.00
44	सहरसा	6,88,52,351.00	60,34,201.00	7,48,86,552.00	3,74,43,276.00	3,74,43,276.00	7,48,86,552.00
45	मधेपुरा	2,39,59,030.00	73,79,260.00	3,13,38,290.00	1,56,69,145.00	1,56,69,145.00	3,13,38,290.00
46	सुपौल	2,87,82,030.00	63,88,314.00	3,51,70,344.00	1,75,85,172.00	1,75,85,172.00	3,51,70,344.00
47	अररिया	3,47,56,731.00	82,73,110.00	4,30,29,841.00	2,15,14,921.00	2,15,14,920.00	4,30,29,841.00
48	फारबिसगंज	2,22,01,028.00	14,22,163.00	2,36,23,191.00	1,18,11,596.00	1,18,11,595.00	2,36,23,191.00
49	किशनगंज	4,65,27,153.00	86,01,521.00	5,51,28,674.00	2,75,64,337.00	2,75,64,337.00	5,51,28,674.00
कुल योग		1,72,64,53,781.00	20,25,21,255.00	1,92,89,75,036.00	96,44,87,528.00	96,44,87,508.00	1,92,89,75,036.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹19289.75036 लाख (एक सौ बानवे करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार छत्तीस रु०) मात्र।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹19289.75036 लाख (एक सौ बानवे करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार छत्तीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर परिषदों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter

✓

Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

7. Devolution + Grant की राशि में से उपर्युक्त कंडिका- 5 (क), (ख), एवं (ग) में कर्णांकित राशि के पश्चात् अवशेष राशि का उपयोग नगर निगमों की आवश्यकतानुसार पूर्व से प्रावधानित उनके सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों के बकाये के भुगतान के उपरांत कर्मियों के वेतन, ठोस कचरा प्रबंधन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान के अतिरिक्त मासिक वेतन भुगतान पर भी किया जा सकेगा। विभागीय पत्रांक- 2259, दिनांक- 02.05.2019 के आलोक में सेवांत लाभ से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात् सेवांत लाभ से संबंधित मामलों में भुगतान के उपरांत ही वेतनादि से संबंधित भुगतान किया जाएगा।

8. पंचम् राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय- 8 के टेबल 8.9 में नगर निकायों के बीच राशि वितरण के लिए 70 प्रतिशत जनसंख्या, 10 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 20 प्रतिशत बी०पी०एल० परिवारों की संख्या को आधार बनाया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि बी०पी०एल० परिवारों के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध नहीं हो तो बी०पी०एल० परिवारों के लिए निर्धारित भार जनसंख्या में जोड़ दिया जाय एवं उक्त राशि का उपयोग मलिन बस्तियों एवं कमजोर वर्ग से आच्छादित क्षेत्रों के विकास पर किया जाय। साथ ही उक्त अध्याय- 8 के टेबल- 8.9 के अनुसार राशि वितरण में नगर निगमों के लिए 1.5 गुणा, नगर परिषदों के लिए 1.3 गुणा एवं नगर पंचायतों के लिए 1 गुणा भार निर्धारित किया गया है।

9. Devolution एवं Grant के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि के वितरण हेतु नगर निकायों के 2011 की जनसंख्या को 90 प्रतिशत भार (Weightage) तथा उनके क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत भार (Weightage) दिया गया है। बी०पी०एल० परिवारों के लिए निर्धारित भार के समतुल्य राशि का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्तियों एवं कमजोर वर्ग से आच्छादित क्षेत्रों के विकास पर किया जायेगा।

10. स्वीकृत कुल राशि ₹19289.75036 लाख (एक सौ बानवे करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार छत्तीस रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-0005- राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- 48-2217801920005 विषय शीर्ष-0005.31.04 एवं विषय शीर्ष-0005.31.05 से की जाएगी।

11. **विभागीय संकल्प संख्या- 1288 दिनांक- 25.03.2016 के आलोक में कुल आवंटित राशि के 20 प्रतिशत का व्यय मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा तथा विभागीय संकल्प संख्या- 1287 दिनांक- 25.03.2016 के आलोक में कुल आवंटित राशि के 30 प्रतिशत का व्यय मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा।**

✓

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
13. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
14. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
15. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक- 19.07.2019 की बैठक के मद संख्या- 04 के रूप में प्राप्त है।
16. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/राज्य वित्त आयोग-25-02/2015 के पृष्ठ सं०-...239.../टि० पर दिनांक-...08/09/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-...240.../टि० पर दिनांक-...08/08/2019... को प्राप्त है।
17. इसकी सूचना सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/राज्य वित्त आयोग-25-02/2015 54 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-13/08/19

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित एवं अनुश्रवण करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.08.19

सरकार के विशेष सचिव।